न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट (दौसा)

किस्म मुकदमा (फर्द अहकाम (नियम 26) फार्म 111

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज लक्ष्मणदास बनाम राजस्थान सरकार मु0 नं0 वाद पत्र इन्द्राज दुरूस्ती	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पत्रावली पेश हुयी। प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की सहखातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि आराजी खसरा नं0 4 रकबा 8 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नं0 48 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 10 बीघा 19 बिस्वा वाकै ग्राम पृथ्वीसिंहपुरा पटवार हल्का शिवसिंहपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा में स्थित है। जमाबंदी सम्वत् 2075 से 2078 संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। उक्त आराजीयात खसरा नम्बरान के राजस्व रिकार्ड में लक्ष्मीनारायण पुत्र रामगोपाल का हिस्सा 1/2 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी लक्ष्मणदास पुत्र गोपालदास का नाम सहबन से लक्ष्मीनारायण पुत्र रामगोपाल दर्ज हो गया जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायार्थ एवं कानूनन आवश्यक है। राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिवार राशन कार्ड, भारतीय विशिष्ठ पहचान पत्र, प्राधिकरण (आधार कार्ड), आयकर विभाग का कार्ड मे प्रार्थी का नाम लक्ष्मणदास पुत्र गोपालदास अंकित है तथा प्रार्थी की पत्नी मुन्नी देवी का पहचान पत्र, आधार कार्ड, में प्रार्थी का नाम लक्ष्मणदास अंकित है तथा प्रार्थी के पुत्र नेतराम की वल्दीयत का पहचान पत्र, पिछडी जाति प्रमाण पत्र, मार्गशिट सन् 2011 से 2012 तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान वरिष्ठ उपाध्याय परिक्षा 2012 की अंकतालिका, कक्षा 8 की अंकतालिका में प्रार्थी का नाम लक्ष्मणदास अंकित है। जो बिलकुल सही एवं सत्य है। आम बोल चाल मे प्रार्थी को लक्ष्मणदास व लक्ष्मीनारायण कहकर बुलाते है लक्ष्मणदास एवं लक्ष्मीनारायण एक ही व्यक्ति है। जो गोपालदास की संतान है तथा अन्य सरकारी दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम लक्ष्मणदास ही दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम सहबन से लक्ष्मीनारायण पुत्र रामगोपाल दर्ज होने से प्रार्थी को के.सी.सी. लोन तथा अन्य सरकारी	

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज.)

योजनाओ के लाभ से वंचित होना पड़ रहा है। इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश करना लाजिमी आया है। आराजी खसरा नं0 4 रकबा 8 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नं0 48 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 10 बीघा 19 बिस्वा वाकै ग्राम पृथ्वीसिंहपुरा पटवार हल्का शिवसिंहपुरा तहसील लालसोट के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 में प्रार्थी का नाम लक्ष्मीनारायण पुत्र रामगोपाल को विलोपित कर उसके स्थान पर लक्ष्मणदास पुत्र गोपालदास किया जाना न्यायार्थ एवं कानूनन आवश्यक है।

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र श्री राकेश शर्मा एडवोकेट ने पेश किया। कार्यालय रिपोर्ट ली जाकर अप्रार्थी की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी से रिपोर्ट तलब करने हेतू तहरीर जारी कि गयी जिस पर अप्रार्थी ने अपनी रिपोर्ट पेश किया जो शामिल पत्रावली की गई। उभय पक्षकारान बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नं0 4 रकबा 8 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नं0 48 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 10 बीघा 19 बिस्वा वाकै ग्राम पृथ्वीसिंहपुरा पटवार हल्का शिवसिंहपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा में स्थित है। प्रार्थी की उक्त खातेदारी में नाम लक्ष्मीनारायण पुत्र रामगोपाल दर्ज किया है जबकि प्रार्थी की अन्य राशन कार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, बैंक पासबुक आदि दस्तावेजात मे लक्ष्मणदास पुत्र गोपालदास होने के कारण शुद्व किये जाने योग्य है तथा प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन मे सहखातेदारान की सहमति पत्र पेश किया गया है जो शामिल मिसल किया गये तथा प्रार्थी के अशुद्व नाम लक्ष्मीनारायण पुत्र रामगोपाल को विलोपित कर उसके स्थान पर लक्ष्मणदास पुत्र गोपालदास शुद्व करवाये जाने का निवेदन किया। हमने पत्रावली व पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो व तहसीलदार लालसोट की रिपोर्ट का अवलोकन व मनन किया। जिससे हम इस निष्कर्ष पर पहुचते है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस आशय से स्वीकार किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नं0 4 रकबा 8 बीघा

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०

13 बिस्वा, खसरा नं0 48 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 10 बीघा 19 बिस्वा वाकै ग्राम पृथ्वीसिंहपुरा पटवार हल्का शिवसिंहपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा के राजरव रिकार्ड मे प्रार्थी के अशुद्व नाम लक्ष्मीनारायण पुत्र रामगोपाल को विलोपित कर उसके स्थान पर लक्ष्मणदास पुत्र गोपालदास शुद्व किया जाता है। इस आशय की तहरीर तहसीलदार लालसोट जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 6/7/21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय से सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०